

केरल में प्रलय

प्रलय का हमन पढ़ा और सुना है। जिसन प्रलय का देखा और झाला है। वह जिंदा नहीं रहा। 2013 में केंद्रान्तरधार्म में जो सैलाब आया और तबाही हुई अथवा उत्तरकाशी में भूकंप के बाद जो बाढ़ आई, हमनें उत्तरवें ही प्रलय माना। विनाश और बवादी का दूसरा नाम प्रलय है। अब केंद्र के वायनाड जिले में लगातार तीन भू-स्खलन आए और फिर सैलाब आया, गांव के गांव दफन हो गए, 400 से अधिक घर देखो गए, देखते ही देखते हामलबाल हो गए, करीब 200 मौतें हो चुकी हैं और इतनी लोग लापता बताए जा रहे हैं, यह प्रलय नहीं है, तो और क्या है? यह कुदरती मार नहीं, मानव-निर्मित घटना है, क्यांकि आद्यी अपनी शैयाशी के लिए पहाड़ों को तोड़ रहा है। पहाड़ों की चोटियों पर भू-स्खलन आरते बनाई जा रही हैं। केरल में सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा दृष्टिकोण में हुदेवदूतल हो गए, जिन्होंने मलबे में से निकाल कर असंख्य जिंदगियां बचाईं। हालांकि केरल की भौगोलिक स्थिति परंपरागत पहाड़ों से भिन्न है, लेकिन देश भर के 80-85 फीसदी भू-स्खलन केरल में ही आते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक, 2015 से 2022 तक 3782 मू-स्खलन आए। उनमें से करीब 60 फीसदी केरल में ही ही आए। मौजूदा

संसद में जाति पर जारी सियासी जंग के राजनीतिक मायने को ऐसे समझिए

वहीं जब लोकतांत्रिक या संविधानिक सम्भवता-संभवति में व्यापक विवाद का बहाव बनकर दिन-प्रतिदिन अनुतापदक प्रतीत होने लगे, तो देश व समाज के प्रबुद्ध लोगों को चिंतित होना स्थानावधिक है। इसलिए आज संसद में जाति के सवाल पर भाजपा नीति एनडीए और कांग्रेस नीति इंडिया लॉक के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझने और आमलोगों को समझाने की ज़रूरत है। पहला, यहि राजनीतिक दलों के लिए जाति अब सामाजिक धृतीकरण का औजार और सियासी गोलबंदी का हथियार बन चुकी है, इसलिए उसे सकारात्मक नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है, न कि नकारात्मक तरीके से। हाँ, अब जाति के परिप्रश्न ने वह मुद्दा उठाने की ज़रूरत है, जिससे राजनीतिक दल और उसके घटरस्युगान नेता अब तक बधते आए हैं। जैसे-साथौओं की जाति, वर्षांसंकर लोगों की जाति और अंतरराष्ट्रिक विवाह द्वारा वाले लोगों और उनकी संतुलितों के धर्म का मुद्दा आदि सबसे अहम है। टूटसा, जारीया या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। क्योंकि गुलाम भारत से लोकर आजां भारत में जाति और धर्म को लोकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतरिरोधाभाषणों से भरे पड़े हैं। जिसकी वजह से उनमें स्पष्टता का अभाव तो है ही, लोकतंत्र की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी नदारत है। इस दिशिति के लिए हमारे राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस दिशिति को बदलने का साहस किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा, जिससे राष्ट्रीय हित और परेवर गुणवत्ता गहरे तक प्रभावित होती आई है जिससे वैरिक गुकाबले में भारत पिछड़ता चला आया।



कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकारी



ल्य द्या र्शी निष्ठ भरी वेक त के या । ही, में ! ति / के वत अपने की हैं, सद ग्रेस उल जपा राग मुझे सही ही चोच ही नयों का दूर किया जाना चाहए, ताक कभी भारतीय समाज को माला की तरह जोड़ने वाली जाति प्रथा आरक्षण उत्सरित सामाजिक टूट की बजह न बन जाये। जैसा कि महसूस किया जा रहा है इसलिए आरक्षण के आधार को जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार का किया जाना चाहिए, इसे रोटेशनल बनाकर सबको लाभान्वित किया जाना चाहिए, जो न्यायिक तर्क/वितर्क के मद्देनजर आसान नहीं लगता है। छठा, उल्लेखनीय कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, जिन्हें अपनी जाति के बारे में भी नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। यह बात एक हद तक सही भी प्रतीत हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों की जाति व धर्म के लिए भारत में स्पष्ट कानूनी प्रावधान तय किए जाने की जरूरत है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा हो। क्योंकि वैदिक जाति या धर्म की अवधारणा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसकी उपेक्षा संवैधानिक भारत में होना आम बात बन चुकी है। सातवां, राहुल गांधी पर सदन में हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने इसके पहले ये भी कहा था कि असत्य के पैर नहीं होते हैं, जिसके चलत य कांग्रेस के कंधे पर सवारा करता है। जैसे मदरी के कंधे पर बंदर सवारी करता है, वैसे ही राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बड़ल होता है। तभी तो अनुराग ठाकुर की इन टिप्पणियों पर सदन में हंगामा बढ़ गया। इसलिए सीधा सवाल है कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद सदन में जो जमकर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, वह कितना जायज है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है। यदि जनप्रतिनिधिगण हंगामा करने के बजाय तस्वीरें कानून बनाने की मांग करें तो ऐसे विरोधाभासों को टाला जा सकता है। आठवां, संयुक्त विपक्ष हंगामा करने के बजाय उन लोगों की एक अलग जातीय कोटि व धार्मिक कोटि बनाने की मांग करे, जिनके माता-पिता भिन्न-भिन्न जातियों या सम्प्रदायों से हैं, क्योंकि उनकी संतान वर्षसंकर हुई। चूंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए यहां पिता की जाति या धर्म को स्वीकार करने की परम्परा प्रचलित है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इससे सम्बन्धित जाति/धर्म का मूलगुण दूषित/भ्रमित होता है।

ਕਰੀ ਕਾ ਹਕ

तो अब अदालत को भी पलटने का हक

फैसले को पलटते हुए कोटे के भीतर आरक्षण काटा तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ, भाजपा और कुछ अन्य दलों के एजेंडों पर कुठाराघात है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर भी। हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आजादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झूल रहा है या कहिये पिस रहा है। कुछ लोग और दल चाहते हैं कि अब देश में जाति और और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये यद्योंकि ये दोनों ही बराबरी विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में अर्थिक बराबरी न हो तब तक जाति का तो पता नहीं किन्तु आरक्षण को बनाये रखना चाहिए। जाति को लेकर हमारे समाज की मान्यताएं भी भिन्न हैं। कोई कहता है कि जाति न पूछे साधू की, पूछ लीजिये ज्ञान, तो कोई कहता है जाति-पांत पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होय। इसके बाद भी हमारी सासद में आज भी जाति पूछी जाती है और निर्ममता से पूछी जाती है। बात एकदम ताजा है। शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने 2004 के इवी चिन्हन्या केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को अजा-अजजा कैटिगरी में सब-वलासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जस्टिस बी. आर. गवर्ड समेत चार जजों ने यह भी कहा कि अजा-अजजा कैटिगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए।



राकेश अचल लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

३

के फैसले को लेकर नाना-प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग और राजनीतिक दल इस फैसले से खुश हैं तो कुछ नाखुश, क्योंकि अदालत ने अपने डेढ़ दशक पुराने फैसले को पलटते हुए कोटे के भीतर आरक्षण कोटा तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ, भाजपा और कुछ अन्य दलों के एजेंडों पर कुठाराघात है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर भी। हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आजादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झाल रहा है या कहिये पिस रहा है। कुछ लोग और दल चाहते हैं कि अब देश में जाति और और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये क्योंकि ये दोनों ही बराबरी और विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक बराबरी न आ जाये तब तक जाती का तो पता नहीं किन्तु आरक्षण को बनाये रखना

वाहिए। जाती को लेकर हमारे समाज की मान्यताएं भी भिन्न हैं। कोई कहता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान, तो कई कहता है जातिप्रतांत पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होय। इसके बाद भी हमारी संसद में आज भी जाति पूछी जाती है और निर्माण से पूछी जाती है।

बात एकदम ताजा है। शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने 2004 के दिवंगी चिन्हाया केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को अजा-अजजा कैटिगरी में सब-क्लासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जस्टिस बी. आर. गवई न समेत वार जजों ने यह भी कहा कि अजा-अजजा कैटिगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी में लागू है। सात जजों की बेंच में 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का फैसला अलग था।

अब सवाल ये है कि क्या नेताओं

की तरह अदालतें भी अपने फैसले समयानुसार बदल सकती हैं? मेरे हिसाब से बिलकुल बदल सकती हैं, मशीनें क्योंकि फैसले व्यक्ति करते हैं, मशीनें नहीं। यदि शीर्ष अदालतों में फैसले मशीनें करतीं तो मुमकिन है कि वे अपने ही फैसले न बदलतीं लेकिन जब व्यक्ति फैसले करते हैं तो उन्हें फैसले बदलने का हक है। क्योंकि कोई भी फैसला समीक्षा के योग्य होता है और सौ फीसदी सही नहीं होता है। अर्थात् फैसले बदलने का हक केवल इस देश के नेताओं के ही नहीं अपितु अदालतों को भी है वे जनमानस के मनोव्यापारों के अनुरूप चलतीं हैं। कानून और साक्ष्य तथा तर्क-वितर्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

याद कीजिये कि यही मामला जब पहले शीर्ष अदालत में आया था तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सभ-कलासिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है। लैकिं अब उसी सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने छह जजों से

असहमति जताई। चीफ जिस्टिस व अगुआई वाली सात जजों की बोने कहा है कि अनुसूचित जाती सब कलासिफिकेशन से सर्विधि के अनुच्छेद-14 के तहत समान के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इसके अनुच्छेद-341 (2) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद-15 और 16 में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों के रिजर्वेशन के लिए जाति में सब कलासिफिकेशन से रोकता है।

शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला बदलने में पूरे बीस साल का समय लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जल्दबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है। इसे अब केवल देश की संसद नवा कानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए कानून बनाती रही हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तक भी है। सर्विधान निमार्ता डॉ भीमराव अबेडकर के पौत्र प्रकाश अबेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं लगा। वे कहते हैं कि अदालतों को अजा-अजजा के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। ये काम संसद ही कर सकती है।

डॉ भीमराव अबेडकर के पौत्र प्रकाश वर्चित अधारी पार्टी चलाते हैं। लेकिन वे आरक्षण विषेशज्ञ भी हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। बाबा सहब के पौत्र होने का अर्थ प्रकाश का भी सर्विधान विशेषज्ञ होना नहीं है। वे राजनीतिक दृष्टि से सोचते हैं। जिस दिन उनका बहुमत संसद में हो जाएगा, वे शीर्ष अदालत का फैसला बदलने या बदलवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिलहाल तो शीर्ष अदालत के इस फैसले से कहीं खुशी, कहीं गम का माहाल है। ऐसा होता है। जैसे श्रीकृष्ण जग्मधीमि के विवाद में आये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी थी उआ है।

आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल हों या दलों को राजनीति सीखने वाले संघ, अपनी सुविधानसार रंग बदलते आये हैं। जो आगेसामें कभी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है वो ही संघ आरक्षण का समर्थन करने लगता है। यही हाल सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य दलों का है। इसलिए कम से कम मैं तो शीर्ष अदालत के फैसले से मुतमई हूँ। मैं जानता हूँ कि शीर्ष अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी राजनीतिक दल और नैकरशाही बीच का कोई रास्ता निकल कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये उनका काम है। अदालत ने अपना काम किया है। आरक्षण की मलाई और छाछ को लेकर ये द्वन्द्व भी उतना ही सनातन हो चुका है जितनी सनातन हमारी आरक्षण विरोधी और

पक्ष-विपक्ष का टकराव का याजनात स दूर रहना चाहए

वर्तमान में संसद

विषयक के बीच अनर्गल, बेलगाम बोल के कारण दिन पर दिन अपसी टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है जो लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं। सत्ता पक्ष एवं विषयक दोनों को जनता ने जनमत आपस में टकराकर संसंद काल का स्वर्णिम अवसर गवाने के लिये नहीं दिया बल्कि सकरात्मक कदम नहीं उठाता है तो विषयक को विरोध करने का पूरा पावर जनता ने दे रखा है। विषयक की मांग पर पहल करना सत्तापक्ष का नैतिक दायित्व है। पर आजकल दोनों का नजरिया ही बदल गया है। जिसके बजह से अपसी टकराव की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिसे जनता अभी हाल हीं में संसद में चल रही चर्चा के दौरान विषयक नेता राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना कराये जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का किसी की भावना का ठेस पहुंचाने वाला बयान कि जातीय जनगणना की बात करने वाले को अपनी जाति का ही पता में कहापि नहीं। इस तरह के अनर्गल बयान से जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाये, समानीय जनप्रतिनिधि सांसद को बचाना चाहिए।

जनता ने इस बार सत्ता पक्ष का जनमत का आकड़ा पहले से कम कर दिया है तथा विषयक को पहले से ज्यादा जनमत देकर मजबूत विषयक कि आज सत्ता वैसाखी पर टिकी है जो कभी भी धराशायी हो सकती है, उसके सामने एक तगड़ा विषय सीना ताने खड़ा है। इस तरह के हालात में लोकतंत्र तभी सही रह सकता जब सांसद अपनी मर्यादा में रहें, अनर्गल बोल से बचे,

पक्ष-विषयक टकराव की राजनीति भी विषयक की बातें सुने, विचार करें एवं उसपर अमल करें तभी जनादेश का सही आदर हो सकेगा, लोकतंत्र सही चल सकेगा। सत्ता तो आज इधर है तो कल उधर, इस यथात् को सभी को समझना होगा। देश एवं जनहित में जरूरी है कि पक्ष विषयक आपसी टकराव की राजनीति से दूर रहें।

३८

<p>र्गल को पर्याधि का कम न से पक्ष</p>	<p>कि आज सत्ता वैसाखी पर टिकी है जो कभी भी धराशायी हो सकती है, उसके सामने एक तगड़ा विपक्ष सीना ताने खड़ा है। इस तरह के हालात में लोकतंत्र तभी सही रह सकता जब सांसद अपनी मयार्दा में रहें, अर्नगल बोल से बचे,</p> <p>पक्ष-विपक्ष टकराव की राजनीति</p>	<p>भी विपक्ष की बातें सुने, विचार करें एवं उसपर अमल करें तभी जनादेश का सही आदर हो सकेगा, लोकतंत्र सही चल सकेगा। सत्ता तो आज इधर है तो कल उधर, इस यथात को सभी को समझना होगा। देश एवं जनहित में जरूरी है कि पक्ष विपक्ष आपसी टकराव की राजनीति से दूर रहें।</p>
---	--	--

